531
3-9-14

न्यायालय श्रीमान् - राजस्व मण्डल ग्वालियर सर्किट कोर्ट रीवा म. प्र.

20 Rs. COURT FEE 20 रु.
भारत INDIA
बीस रुपये
TWENTY RUPEES

Rs. 20/-

R-3366-III/14

दयाशंकर सिंह तनय सूर्यबली सिंह उम्र - मृतक जरिये विधिक वारिस

1- श्रीमती संस्कृतसिंह बेवा पत्नी स्व. दयाशंकर सिंह उम्र 55 वर्ष

2- आशीष सिंह पिता स्व. दयाशंकर सिंह उम्र - 28 वर्ष

3- मनीष सिंह पिता स्व. दयाशंकर सिंह उम्र -22 वर्ष

4- अवनीश सिंह पिता स्व. दयाशंकर सिंह उम्र 20 वर्ष

5 - रजनीश सिंह पिता स्व. दयाशंकर सिंह उम्र 18 वर्ष

श्री... मुद्रिका विश्वकर्मा... एड
द्वारा आज दिनांक.. 03-09-14 के
प्रस्तुत किया गया
रीडर
सर्किट कोर्ट रीवा

सभी निवासी लालगांव तहसील सिरमौर जिला रीवा म0 प्र0 ------ पुर्नरीक्षणकर्ता

बनाम.

क्रमांक 3069
रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा आज
दिनांक .... को प्राप्त

राजकुमार सिंह पिता साधू लाल सिंह उम्र 45 वर्ष निवासी ग्राम लालगांव तहसील सिरमौर जिला रीवा म. प्र. ---------- गैरपुनरीक्षणकर्ता

क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

पुनरीक्षण विरुद्ध आदेश न्यायालय श्रीमान् राजस्व निरीक्षक महोदय मंण्डल लालगावं तहसील सिरमौर जिला रीवा द्वारा पारित आदेश दि. 10.7. राजस्व प्र. क्र. 14/अ-12/13-14

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण कमांक निगरानी 3366–तीन/14 जिला–रीवा

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
02-06-17	आवेदक के अधिवक्ता श्री मुद्रिका प्रसाद विश्वकर्मा उपस्थित। उनके द्वारा यह निगरानी राजस्व निरीक्षक वृत्त लालगांव तहसील सिरमौर जिला रीवा का प्रकरण कमांक 14/अ–12/2013–14 में पारित आदेश दिनांक 10.07.2014 के विरूद्व म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। 2– आवेदक अधिवक्ता का तर्क है कि अनावेदक द्वारा एक आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 129 के तहत सीमांकन खसरा कमांक 1033/5, 1327, 2659/1326 स्थित ग्राम लालगांव तहसील सिरमौर जिला रीवा के सीमांकन हेतु आवेदन बिना आवेदक को पक्षकार बनाये बिना आवेदन दिया गया था जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्वीकार कर राजस्व निरीक्षक मण्डल लालगांव के पटवारी को सीमांकन हेतु निर्देशित किया गया था जबकि आवेदकगण मूल भूमिस्वामी 1032/3 के हैं परंतु सरहददी कास्तकार होने पर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सुनवाई हेतु सूचना नहीं दी गई इसलिये सीमांकन की कार्यवाही विधि विरूद्व होने से निरस्त करने का अनुरोध किया गया है। 3– आवेदक के अधिवक्ता तर्क सुने। तथा प्रकरण में उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन किया गया। अध्ययन से स्पष्ट है कि राजस्व निरीक्षक द्वारा जो सूचना पत्र दिनांक 25.5.2014 को	

भेजा गया है उसमें संस्कृति सिंह बैवा दयाशंकर सिंह के हस्ताक्षकर नहीं वह उनके नाम के सामने की लाईन छूटी हुई है जो प्रकरण कमांक 14/अ–12/2013–14 के पृष्ठ 9 पर संलग्न है, ऐसी स्थिति में सीमांकन के प्रावधानों के अनुसार सीमांकन की कार्यवाही त्रुटिपूर्ण परिलक्षित होती है। "यद्यपि म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 129. सर्वेक्षण संख्यांक या उपखंड या भू–खंड संख्यांक का सीमांकन– (1) तहसीलदार या कोई अन्य राजस्व अधिकारी जो कार्य करने के लिए सशक्त हो, किसी हितबद्ध पक्षकार के आवेदन पर किसी सर्वेक्षण संख्यांक की या उपखंड या भू–खंड संख्यांक की सीमाओं का सीमांकन कर सकेगा और उस पर सीमा चिन्ह सन्निर्मित कर सकेगा। अनावेदक के द्वारा प्रस्तुत सीमांकन आवेदन पर राजस्व निरीक्षक के निर्देश के पालन में 05.05.14 को राजस्व निरीक्षक के आदेशानुसार पटवारी द्वारा सीमांकन किया जिसपर फील्डबुक तैयार की । फील्डबुक पर सीमांकित भूमि के सरहदी कास्तकारों के रकबा सहित उनके भूमिस्वामियों का स्पष्ट उल्लेख नहीं किया है तथा सीमांकित भूमि के कौन–कौन भूमिस्वामी हैं, उनके हस्ताक्षर हैं, यह स्पष्ट नहीं है। 1996 आर एन 357 गीताशर्मा विरूद्ध म0प्र0 राज्य (उच्च न्यायालय) में निम्नलिखित न्यायदृष्टांत प्रतिपादित किया गया है– "म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (म0प्र0)– धारा 129 – समीपस्थ सर्वेक्षण संख्यांक का सीमांकन अपने हित के संरक्षण के लिए समीपस्थ सर्वेक्षण संख्यांक का स्वामी उचित पक्षकार है। 1995 (2) म0प्र0 वीक्ली नोट्स 58 तथा 1992 (1) म0प्र0 वीक्ली नोट्स 159 (उच्चतम न्यायालय) अवलंबित।"

इसी प्रकार 1998 आर एन 106 (उच्च न्याया0) में यह न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि – "सीमांकन हितबद्ध

पक्षकार की उपस्थिति में किया जाना चाहिए।'' इन सब परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये राजस्व निरीक्षक वृत्त लालगांव तहसील सिरमौर जिला रीवा का प्रकरण कमांक 14/अ–12/2013–14 में पारित आदेश दिनांक 10.07.2014 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण राजस्व निरीक्षक वृत्त लालगांव तहसील सिरमौर जिला रीवा को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि सभी सरहदी कास्तकारों को सूचना एवं साक्ष्य का अवसर प्रदान करते हुये सीमांकन करने हेतु दल गठित कर पुनः सीमांकन की कार्यवाही करें। पक्षकार सूचित हों। अधीनस्थ न्यायालय को आदेश की प्रति भेजी जावे। राजस्व मण्डल का प्रकरण अभिलेखागार में संचय हेतु भेजा जावे।

(एस0 एस0 अली)
सदस्य